अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{30 माघ, 1947 (श०)}}{\text{19 फरवरी, 2026 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	कृषि विभाग	..	..	05
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	01
(3)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	01
(4)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	01
			कुल योग --	08

तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करना

''क''-16. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सैकड़ों तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु वाद संख्या सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0 9692/2015 में दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 को निर्णय दिया गया था कि सरकार के सभी अतिक्रमित तालाबों को जिला पदाधिकारी अपने स्तर से मुक्त करवाएँ परन्तु इसके बावजूद पटना जिला में 64 तालाब, नालन्दा जिला में 50, पश्चिमी चम्पारण में 77, पूर्वी चम्पारण में 64, दरभंगा में 19, खगड़िया में 30, बक्सर में 122 सहित पूरे राज्य में लगभग 1045 तालाब वर्तमान में अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फार्मर रजिस्ट्री कराना

51. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एग्रीस्टैक परियोजना अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को पत्रांक डी0बी0टी0 (पी0एम0 किसान) 100/2024-6572 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को निदेश जारी की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रथम चरण में 6 जनवरी, 2026 से 9 जनवरी, 2026 तक एवं द्वितीय चरण में 18 जनवरी, 2026 से 21 जनवरी, 2026 तक कार्यक्रम निर्धारित की गई ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य 38 जिलों में 8553570 पी0एम0 किसान सम्मान के पंजीकृत लाभार्थी हैं, जिसमें मात्र अबतक 19.68 प्रतिशत लाभार्थी को एग्रीस्टैक परियोजना अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री हो पाया है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एग्रीस्टैक परियोजना के अन्तर्गत वंचित किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशंसा भेजना

52. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित कृषि विपणन योजना (ए0एम0आई0) एवं उप योजना (आई0एस0ए0एम0) अन्तर्गत किसानों को गोदाम निर्माण तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु सब्सिडी जारी की जाती है, जिसका क्रियान्वयन 10 जून, 2025 से बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजना का पुनर्संचालन हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

53. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी द्वारा जैविक प्रमाणन का कार्य बिहार सहित अन्य 8 राज्यों में किया जाता था, जिससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सितम्बर, 2025 में भारत सरकार की संस्था एपीडा द्वारा अनियमितता के आरोप में उक्त संस्था पर राज्य के बाहर प्रमाणीकरण पर रोक लगाते हुये 5 लाख का जुर्माना लगाये जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--''क''-सदन द्वारा पंचायती राज विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित ।

कचरे का निस्तारण

54. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक ''राजधानी पर वर्षों से 13 लाख टन पुराने कचरे का बोझ'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के पटना, भागलपुर आदि शहरों में वर्षों से डंप पुराने कचरे का लम्बे समय तक खुले में पड़े रहने के कारण जहरीली गैसों का उत्सर्जन, दुर्गंध, जल एवं भूमि प्रदूषण तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना इससे सर्वाधिक प्रभावित शहरों में है, जहाँ 13 लाख टन से अधिक पुराना कचरा जमा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कचरे के ढेरों को निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य आरंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैक हाउस का निर्माण

55. मो० कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ए०पी०ई०डी०ए० (एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के विभिन्न राज्यों में अबतक कुल 203 ''पैक हाउस'' का निर्माण किया गया है, जिससे किसानों द्वारा उत्पादित किए जा रहे फल, सब्जी इत्यादि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप निर्यात हेतु ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्री-कूलिंग, पैकेजिंग की जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के किसी भी जिला में अबतक ए०पी०ई०डी०ए० द्वारा मान्यता प्राप्त एक भी ''पैक हाउस'' का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बिहार के किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के प्रत्येक जिला में कबतक ए०पी०ई०डी०ए० द्वारा मान्यता प्राप्त ''पैक हाउस'' निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैक्सों से PDS संचालन

56. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायत के पैक्सों में PDS संचालन हेतु लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु अभीतक अधिकांश पैक्स को PDS संचालन का लाइसेंस निर्गत नहीं किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा PDS का लाइसेंस निर्गत करने के बाद भी पैक्स के माध्यम से PDS का संचालन नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी पैक्सों को PDS लाइसेंस निर्गत करते हुए PDS का संचालन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टैगिंग कर बिक्री पर रोक

57. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में यारा, इण्डोरमा, सी0एफ0सी0एल0, एच0यू0आर0एल0, बी0भी0एफ0सी0एल0, आर0सी0एफ0, इफको, आई0पी0एल0, एन0एफ0एल मैटिक्स, जी0एस0एफ0सी0, कृषकों, सी0आई0एल0, पी0पी0एल0 कम्पनियों द्वारा यूरिया की आपूर्ति की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा राज्य के थोक एवं खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को उर्वरकों के साथ-साथ अन्य उत्पादों जैसे जिंक, सल्फर, जाईम, नैनो यूरिया, नैनो डी0एम0पी0, कैल्शियम, पैरीसाईट को टैग कर बिक्री किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक राशि व्यय करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम्पनियों द्वारा थोक एवं खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को यूरिया के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 19 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026